(89)

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(1)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र. क्र. / ग/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2017/4002

श्री बृजेन्द्र सिंह चौहान
द्वारा आज दि. 25/10/17 को
पेश
क्लर्क ऑफ कोर्ट 10/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पेशी दिनांक 9-11-17

9/11/17

मलखान सिंह पुत्र घनश्याम पाल, आयु – 45 वर्ष,
निवासी – पठा तह. लवकुशनगर, जिला छतरपुर
म.प्र. ....आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा –50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.02.2017 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर, जिला छतरपुर पत्र क्र. 275/अनु.वि./2017 से दुखित होकर

माननीय न्यायालय,

आवेदक का निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:—

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :—

1. यहकि, आवेदक मलखान सिंह पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम पठा तह. लवकुशनगर जिला छतरपुर को शासन द्वारा विधिवत ग्राम पठा की भूमि सर्वे नं. 2232 का पट्टा विधिवत आवेदक को प्रदान किया गया था।

बृजेन्द्र सिंह चौहान
25/10/17

2. यहकि, उक्त भूमि का न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय बछोन के रा.प्र. क्रमांक 90/अ–12/1995–96 आदेश दिनांक 23.09.1996 एवं तहसीलदार महोदय लवकुशनगर के आदेश दिनांक 03.05.2016 के अनुसार अभिलेख सुधार करने का आदेश दिया गया। जिस पर जांच कर अभिलेख सुधार का कार्य होना था जो न कर अनुविभागीय अधिकारी महोदय के पत्र क्र. 275/2017 के अनुसार एक पक्षीय रूप से पूर्वतः म.प्र. शासन दर्ज करने के आदेश दिये गये है।

25/10/17
शाखा प्रभारी (रा.अ.)
कार्यालय [illegible] ग्वालियर

3. यहकि, आवेदकगण हितबद्ध पक्षकार होने से उनको सूचना व सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जाना था जो ना देकर सीधे समस्त भूमि धारकों की भूमियों को शासन दर्ज किये जाने का आदेश

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4002

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/03/2018 ③	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एस. धाकड़ उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 09.02.2017 के विरुद्ध दिनांक 25.10.2017 को लगभग 8 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है, जो अवधि वाह्य है। आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारण कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जबकि अवधि विधान की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण अनिवार्य होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	